कार्यालय, नगर निगम मधुबनी

(Email-madhubaninagarnigam@gmail.com, madhubaninagarparishad@gmail.com)

पत्रांक. 896 /न0नि0,मधुबनी, दिनांक 2/2/2024

श्री अमित कुमार मेहता, पिता– रामचन्द्र मेहता, मिथिलांगन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जगतपुर, वार्ड न0–09 मधुबनी का G + 6 आवसीय भवन निर्माण अनुज्ञप्ति अभिलेख संख्या–24 वर्ष 2023–24 का पारित किया गया है जो आवासीय के रूप में समझा जाय।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मधुबनी

02.07.2024

कार्यालय, नगर निगम, मधुबनी

भवन निर्माण अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक 24 अभिलेख सं0 24 दिनांक 06-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती अमित कुमार मेहता पिता रामचंद्र मेहता पिता/पति मिथिलांचल डेवलपर्स प्रा० लिमिटेड पता जगतपुर मधुबनी को वार्ड न0 09 में स्थित खेसरा न0 3820, 3826 (0) में रकबा 08 कट्ठा 06 धुर पर आवासीय/व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुज्ञप्ति निम्न क्षेत्रफल के अनुसार दिया जाता है।

आवासीय –	G + 6	3317 वर्गमीटर
व्यवसायिक –	G + 6	वर्गफीट

उपरोक्त भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है–

शर्त्तें –

1. प्रस्तावित भवन निर्माण पारित नक्शा के अनुरुप करने की बाध्यता होगी।
2. पारित नक्शा के विपरीत निर्माण होने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन नियमावली 2014 के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
3. प्रस्तावित भवन निर्माण के आगे 05 फीट छोड़कर निर्माण करना है एवं दोनों तरफ तीन फीट जमीन छोड़कर निर्माण करना होगा, यदि प्रस्तावित निर्माण की चौड़ाई 10 मीटर से अधिक हो।
4. यह अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।
5. भवन निर्माण के क्रम में तीनों स्तर यथा D.P.C., Lintel एवं छत ढलाई के समय नगर अभियन्ता का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन एवं भवन भुकम्परोधी निर्माण किया जा रहा है। इस आशय का प्रमाण संलग्न करना होगा। अन्यथा अनुज्ञप्ति स्वतः अवैध या निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रस्तावित भवन निर्माण के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 (बारह) फीट होना आवश्यक होगा। उससे कम होने की स्थिति में तथ्य को छिपाकर पारित कराने की स्थिति में किसी भी प्रकार के आपदा का जिम्मेदार स्वयं भू–स्वामी होंगे।
7. भवन निर्माण उपविधि 2014 के तहत भवन की उँचाई सामान्य स्थिति में 11 (ग्यारह) मीटर से ज्यादा नही होगा।
8. भवन निर्माण करने की अवधि में आवधिक प्रमाण पत्र यथा समय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निर्धारित अवधि के अन्दर भवन निर्माण नहीं होने की स्थिति में पारित नक्शा एवं अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने के पश्चात ही निर्माण करना अनिवार्य होगा।
10. भवन निर्माण होने के पश्चात् तुरन्त पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. व्यवसायिक भवन निर्माण एवं वाणिज्यक आवासीय भवन निर्माणोपरान्त भवन में अग्निशमन सयंत्र रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार के आपदा के समय तत्कालिक निपटारा किया जा सके।
12. भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता का लगाने से संबंधित प्रमाण पत्र भू–स्वामी को निर्माण अवधि में कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
13. निर्माण अवधि के तीन माह के अन्दर धृति कर कायम कराना अनिवार्य होगा।
14. निर्माणाधीन भवन का क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट से अधिक होने की स्थिति में Rain Harvesting System लगाना अनिवार्य होगा।
15. अमीन, कर निरीक्षक एवं अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर भवन अनुज्ञप्ति औपबंधिक रुप से दी जाती है तथा इसकी वैद्यता निबंधित वास्तुविद्/अभियंता के द्वारा निर्माण के संबंध में विहित प्रपत्र में कार्यालय में समर्पित किये गए/किये जाने वाले प्रतिवेदन पर निर्भर करती है।
16. भवन अनुज्ञप्ति में स्वीकृत उँचाई तक ही बिहार भवन उपविधि 2014 के प्रावधानों के तहत निर्माण कार्य हुआ है, इस संबंध में निबंधित वास्तुकार/अभियंता विहित प्रपत्र में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
17. निबंधित वास्तुविद् से पूर्णता प्रमाण पत्र पूर्णता तिथि के उल्लेख के साथ विहित प्रपत्र में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
18. भवन निर्माण का सत्यापन करने पर यदि यह पाया जाता है कि भवन निर्माण में भवन उपविधि/ नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन/विचलन/अतिक्रमण किया गया है तो, उत्तरदायी व्यक्ति/धारक/ निबंधित वास्तुविद् के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

Municipal Corporation Madhubani

6/6/24

नगर आयुक्त
नगर निगम, मधुबनी